ालय उपखण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट मांगरोल जिला बारां

सत्यमेव जयते
Website Copy - Not Official

सख्या : 219/2006

मूर्ती श्री लक्ष्मीनारायण माफी मन्दिर विराजमान मांगरोल जर्ये व्यवस्थापक पुजारी राजेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री नन्दलाल मिश्रा ब्राहमण निवासी मांगरोल तहसील मांगरोल जिला बारांमदनलाल पुत्र श्री बद्रीलाल ....वादीगण

♠ बनाम ♠

1. अनिल कुमार पुत्र } हरबिलास जाति ब्राहमण निवासी नन्दनिकेत नयापुरा (प्रोफेसर
2. सुनील कुमार पुत्र } कॉलोनी) कोटा
3. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब मांगरोल ज़िला बारां

....प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रमोद कुमार सिंधव (आरएएस)

वकील वादीगण : श्री भंवरसिंह गौड

वकील प्रतिवादीगण : श्री देवकीनन्दन गालव

निर्णय दिनांक : 30.08.2018

दायरा दिनांकः 06.09.2006

प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि कस्बा मांगरोल तहसील मांगरोल में खसरा नं0 31 रकबा 3 बीघा 4 बिस्वा, खसरा नं0 33 रकबा 6 बीघा, खसरा नं0 35 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नं0 49 रकबा 8 बिस्वा, खसरा नं0 56 रकबा 23 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नं0 2660 रकबा 6 बीघा 17 बिस्वा, खसरा नं0 2661 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 7 रकबा 63 बीघा 8 बिस्वा आराजी स्थित है। यह आराजी खतौनी बन्दोबस्त ग्राम मांगरोल सम्वत 2014 से 2023 में माफी मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण जी विराजमान देह बहकताम पुजारी देवीशंकर वल्द औंकार जाति ब्राहमण के नाम दर्ज है। सम्वत 2034–2037 की जमाबंदी में प्रतिवादी कम 1 व 2 ने माफी रिज्यूम के वक्त अपना नाम चालाकी से व राजस्व अधिकारियों से मिलकर खातेदारान के हैसियत जमाबंदी में दर्ज करवा लिया है, जो विधि प्रावधानो के विरूद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है। बाद सेटलमेंट उक्त आराजी के नये खसरा नं0 41 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 42 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 50 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 51 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 53 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 55 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 64 रकबा 1.55 है0, खसरा नं0 65 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 465 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 467 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 468 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 469 रकबा 0.11 है0 कुल किता 12 रकबा 6.70 है0 अंकित किये गये। खाता

196 के अनुसार उक्त खसरा नं0 के खातेदारान प्रतिवादी नं0 1 व 2 दर्ज किये गये। तथा खातेदार मन्दिर श्री लक्ष्मीनारायण का नाम हटा दिया गया। उक्त वर्णित आराजी में से खसरा नं0 2660 रकबा बीघा 16 बिस्वा व खसरा नं0 2661 रकबा 14 बीघा 8 बिस्वा कुल रकबा 21 बीघा 4 बिस्वा को प्रतिवादी नं0 1 व 2 ने किसी व्यक्ति को बैचान कर दिये थे, जिस पर वादी द्वारा पूर्व में न्यायालय में वाद प्रस्तुत करके वाद को डिक्री कराया गया। फलस्वरूप इस मद में वर्णित उक्त खसरा नम्बरान मूर्ति के नाम पुनः खाते में दर्ज किया गया। उक्त वर्णित आराजी की खतौनी बंदोबस्त में दर्ज बहकतमाम पुजारी देवीशंकर वल्द औंकार जाति ब्राहमण वादी के मामा थे, जिनका देहान्त सन् 1960 में हो गया व वादी उनकी मौजूदगी में ही व उनकी वृद्धावस्था के कारण मंदिर श्री लक्ष्मीनारायण जी की सेवा पूजा नियमित रूप से करता था। प्रतिवादी नं0 1 व 2 उक्त मंदिर की जमीन को बैचान रहन व अन्य प्रकार से खुर्द–बुर्द कर किसी अन्य को हस्तान्तरण करने को आमादा है। वादी ने कई बार प्रतिवादी नं0 1 व 2 से अपना नाम खाते से हटाने के बाबत् कहा तथा इस संबंध में प्रतिवादी नं0 3 से भी कई बार निवेदन किया लेकिन प्रतिवादीगण ने अपना नाम उक्त आराजी की खातेदार की हैसियत से नही हटाने को तैयार हुये। अतः निवेदन है कि खाता संख्या 196 कुल किता 12 कुल रकबा 6.70 है0 कस्बा मांगरोल तहसील मांगरोल व वाद चरण संख्या 3 में वर्णित खातेदार प्रतिवादी नं0 1 और 2 का नाम खाते से हटा कर खातेदार प्रतिवादी नं0 1 और 2 का नाम खाते से हटा कर खातेदार मंदिर मूर्ति श्री लक्ष्मीनारायण जी के नाम दर्ज किया जाने के आदेश प्रदान करें। तथा वादी का नाम व्यवस्थापक और पुजारी की हैसियत से खाता संख्या 196 किता 12 रकबा 6.70 है0 कस्बा मांगरोल तहसील मांगरोल में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करें।

उक्त आशय का वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दिनांक 06.09.2006 को प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण कम 1 व 2 को जर्ये सम्मन तलब किया गया जिसकी प्राप्ति रसीद शामिल फाईल है। प्रतिवादीगण कम 1 व 2 की ओर से अधिवक्ता श्री देवकीनन्दन गालव ने वकालत नामा दिनांक 22.02.2007 को प्रस्तुत किया। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से दिनांक 12.07.2007 को एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए अवसर दिये जाने हेतु निवेदन किया। लेकिन आज दिनांक तक भी प्रतिवादी कम 1 अनिल कुमार व प्रतिवादी कम 2 सुनील कुमार द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत नही किया गया। प्रकरण में दिनांक 06.01.2011 को बयान गवाह श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल के करवाये गयें जिन्हे शामिल फाईल किया गया गवाह श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री नन्दलाल जाति ब्राहमण निवासी मांगरोल ने अपने बयान में उन्ही तथ्यों का कथन किया है जिन्हे वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित किया गया है। प्रकरण के संदर्भ में तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल जो राज्य सरकार को पैरोकार है की टिप्पणी ली गयी। तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) मांगरोल ने अवगत करवाया कि उप शासन सचिव राजस्व ग्रुप 6 कमांक प–2(4) राज0 4/90 दिनांक 13.12.1991 के अनुसार मंदिर देव मूर्ति की

में देव मूर्ति के साथ पुजारी के नाम से सम्बन्ध में पुजारी का सिवायत का सेवा पूजा का अधिकार है ता बहक दीवानी अधिकार है जिसका सम्बन्ध दिवानी न्यायालय से है राजस्व कानूनो कृषको के अधिकारो से उसका कोई संबंध नही है, तथा राजस्व रेकार्ड में खातेदार के साथ पुजारीयान सिवायत का नाम लिखे जाने का कोई प्रावधान नही है। भविष्य में जो जमाबंदी राजस्व विभाग या बन्दोबस्त द्वारा बनाई जाये उसमें देव मूर्ति के साथ पुजारियों, सिवायत का नाम नही लिखा जावें।

पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन व मनन किया गया। प्रकरण के संबंध में पत्रावली में संलग्न दस्तावेजो, प्रदर्शो का अवलोकन किया गया। प्रकरण में बयान गवाहान व तहसीलदार मांगरोल की टिप्पणी के प्रकाश में खाता संख्या 196 किता 12 रकबा 6.70 है0 कस्बा मांगरोल तहसील मांगरोल आराजी मूर्ती श्री लक्ष्मीनारायण माफी मन्दिर विराजमान मांगरोल के खाते दर्ज है जिसमें वादी का नाम व्यवस्थापक और पुजारी की हैसियत से दर्ज करवाना चाहता है, परन्तु उक्त आराजी भूमि माफी मन्दिर की है मुताबिक काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानानुसार रेकार्ड ऑफ रेवेन्यु में खातेदार व गैरखातेदार के अलावा अन्य किस्म का इन्द्राज किया जाना न्यायसंगत नही है जिसमें पुजारी का नाम अंकित किया जाना न्यायसंगत नही है। अतः वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम मांगरोल की आराजी खसरा नं0 41 रकबा 0.05 है0, खसरा नं0 42 रकबा 0.04 है0, खसरा नं0 50 रकबा 0.18 है0, खसरा नं0 51 रकबा 0.32 है0, खसरा नं0 53 रकबा 0.51 है0, खसरा नं0 55 रकबा 0.49 है0, खसरा नं0 64 रकबा 1.55 है0, खसरा नं0 65 रकबा 2.24 है0, खसरा नं0 465 रकबा 0.13 है0, खसरा नं0 467 रकबा 0.86 है0, खसरा नं0 468 रकबा 0.12 है0, खसरा नं0 469 रकबा 0.11 है0 कुल किता 12 रकबा 6.70 है0 आराजी जो मूर्ती श्री लक्ष्मीनारायण माफी मन्दिर विराजमान मांगरोल के खाते दर्ज है में अंकित व्यवस्थापक पुजारी राजेन्द्र कुमार मिश्रा पुत्र श्री नन्दलाल मिश्रा ब्राहमण निवासी मांगरोल व प्रतिवादी कम 1 अनिल कुमार व प्रतिवादी कम 2 सुनील कुमार पुत्रान हरबिलास जाति ब्राहमण का नाम हजफ कर आराजी ग्राम मांगरोल की किता 12 रकबा 6.70 की राजस्व जमाबंदी में खातेदार के रूप में मूर्ती श्री लक्ष्मीनारायण माफी मन्दिर विराजमान मांगरोल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.08.2018 को सरेइजलास मजमेंआम में सुनाया गया।